न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्या: 101/2024
जी.सी.एम.एस. न0: 2024/270

दर्ज दिनांक: 03.09.2024

1. बिमला देवी स्त्री मनोहरलाल उम्र 45 वर्ष निवासी एफ. 40 अध्यापक नगर, नांगलोई, पश्चिमी दिल्ली हाल आबाद गुड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
2. बोवी सन्बल पुत्र मनोहरलाल निवासी एफ. 40 अध्यापक नगर, नांगलोई, पश्चिमी दिल्ली हाल आबाद गुड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

प्रार्थी........

बनाम

1. रामेश्वर रैगर पुत्र गणेशाराम निवासी गुड़ा, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
2. राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अप्रार्थी............

वाद घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड

निर्णय

निर्णय दिनांकः—20.03.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (राज.)

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद—पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि राजस्व ग्राम गुड़ा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. नया 457 व 486 रकबा 0.35 व 0.28 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.63 हैक्टर अवस्थित है। उक्त भूमि का 1/2 भाग प्रतिवादी नम्बर 1 का तथा 1/2 भाग वादीगण का है। जिस बाबत् वादीगण का हिस्सा उनके पूर्वज के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण उनके वैध उत्तराधिकारी है, वादीगण के पूर्वज का देहान्त दिनांक 05.01.2017 को हो चुका है। उक्तानुसार वादीगण वाद बाबत् घोषणार्थ सेवामें नियोजित किया गया।

वादीगण के पूर्वज अर्थात वादी नम्बर 01 के पति तथा वादी नम्बर 02 के पिता का नाम मनोहरलाल है। तमाम राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आयकर प्रमाण पत्र, आधार कार्ड में मनोहरलाल अंकित है, लेकिन घर पर प्यार से उन्हे छगनलाल के नाम से पुकारते थे, गणेशा की मृत्यु के बाद जो नामान्तरण दर्ज हुआ, उसमें छगन लाल दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज हो गया, जो गलत है, तथा दुरूस्त होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

वादी द्वारा वाद–पत्र में अंकित किया गया कि प्रार्थिया नम्बर 1 दिनांक 22.08.2024 को पटवार हल्का के पास नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए गई, उस समय मृत्यु प्रमाण–पत्र को देखकर पटवार हल्का ने गलत इन्द्राज की जानकारी वादिया नम्बर 01 को दी, जिस पर वादिया नम्बर 01 दिनांक 27/08/2024 को पटवार हल्का के पास गई तथा जमाबन्दी की नकल प्राप्त की, उक्तानुसार नकल प्राप्त होने पर सम्पूर्ण स्थिति की जानकारी वादीगण को प्राप्त हुई, उक्ताधार पर वाद दुरूस्ती रिकार्ड पेश किया जा रहा है। उक्त तथाकथित गलत रिकार्ड के आधार पर वादीगण के नाम नामान्तरण भी दर्ज नहीं हो रहा है, इसके अलावा गलत राजस्व अभिलेख से वादीगण के हकहकुको पर भी क्लाउड आने का अंदेशा उठ खड़ा हो रहा है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हाना उचित होने के कारण दुरूस्ती रिकार्ड सेवा में पेश है। अंत में निवेदन किया गया कि ग्राम गुड़ा तह. उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. नया 457 व 486 रकबा 0.35 व 0.28 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.63 हैक्टर के 1/2 भाग के खाते में अंकित छगनलाल की जगह मनोहरलाल दुरूस्त किया जाकर उक्त भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व अभिलेख दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी नम्बर 02 को आदेशित किया जावे।

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण की ओर से वकील ने एक प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया की वे घोषणार्थ की कोई सहायता नहीं चाहते है, जिसके आधार पर प्रतिवादी सं. 01 से विवाद में कोई सहायता नहीं होने से उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावें। प्रार्थना–पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया गया व प्रतिवादी सं. 01 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई व घोषणार्थ की रिलीफ को वादपत्र से विलोपित किया गया। प्रतिवादी सं. 02 तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/2677 दिनांक 09.12.2024 से जबाब/तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम गुड़ा की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. क्रमशः 457 व 486 रकबा क्रमशः 0.35 व 0.28 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.63 हैक्टर भूमि में दर्ज हिस्से 1/2 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम छगनलाल को मनोहरलाल शुद्ध/दुरूस्त किया जाना सही है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुं.)

बहस बगौर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील वादी ने प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादीगण के पूर्वज अर्थात वादी नम्बर 01 के पति तथा वादी नम्बर 02 के पिता का नाम मनोहरलाल है। तमाम राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आयकर प्रमाण पत्र, आधार कार्ड में मनोहरलाल अंकित है, लेकिन घर पर प्यार से उन्हे छगनलाल के नाम से पुकारते थे, गणेशा की मृत्यु के बाद जो नामान्तरण दर्ज हुआ, उसमें छगन लाल दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज हो गया, जो गलत है, तथा दुरूस्त होने योग्य है। अतः उक्त राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

AnyScanner

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुचंते है कि राजस्व ग्राम गुड़ा तह. उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. नया 457 व 486 रकबा 0.35 व 0.28 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.63 हैक्टर के 1/2 भाग के खाते में अंकित छगनलाल गलत रूप से दर्ज हुआ है जबकी सही नाम मनोहरलाल है। पत्रावली में संलग्न सभी दस्तावेजों में जैसे पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि में सही मनोहरलाल ही दर्ज है राजस्व रिकार्ड में सहवन से छगनलाल गलत दर्ज हो गया है। जिसको वादीगण ने शुद्ध व दुरूस्त करवाने के लिए यह वाद-पत्र पेश किया गया है। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड एवं तथ्यात्मक जॉच रिर्पोट तहसीलदार उदयपुरवाटी के अवलोकन से जाहीर होता है कि सही प्रविस्टी मनोहरलाल है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

-::आदेश::-

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गुड़ा तह. उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. नया 457 व 486 रकबा 0.35 व 0.28 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.63 हैक्टर के 1/2 हिस्से के राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम छगनलाल के स्थान पर मनोहरलाल शुद्व/दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उदयपुरवाटी

SCAN AnyScanner